संख्या– 30/xxxvi(1)एक/08–234/2001

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 20 जनवरी, 2008

विषय– मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यालय हेतु सृजित पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 406/xxxvi(1)/2007–234/2001 दिनांक 19 जुलाई, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के कार्यालय हेतु सृजित 414 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1–3–2008 से 28–2– 2009 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या– 234/न्याय अनुभाग/2001 दिनांक 2–5–2001, शासनादेश संख्या–22–एक(2)न्याय विभाग/2003 दिनांक 27–8–2003, शासनादेश संख्या– 8–एक(2)/न्याय विभाग/2004 दिनांक 17–1–2004, शासनादेश संख्या– 25–एक(2)/न्याय विभाग/2004 दिनांक 6–8–2004 एवं शासनादेश संख्या– 1181/ xxxvi(1)/2006–234/2001 दिनांक 13–12–2006 द्वारा किया गया था ।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92,(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 30(1)/xxxvi(1)एक/08–234/2001 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,

kirtendrata